

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

अधिसूचना

क्रमांक.....1738...../चेकर
तीन -10-11/2000

बिलासपुर, दिनांक 12.02.2019

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद् द्वारा निर्देशित करती है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, कोरबा अपने घोषित कार्य स्थल कोरबा के अतिरिक्त करतला में भी माह में एक सप्ताह बैठक करेंगे।

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 573/तीन-10-11/2000 दिनांक 22 जनवरी, 2018 जहां तक उसका संबंध प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कोरबा न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कोरबा की शृंखला न्यायालय करतला से है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

No. 1738/Checker
III-10-11/2000

Bilaspur, Dated 12.02.2019

In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that the Civil Judge Class-II/JMFC, Korba in addition to his place of sitting at Korba declared shall also sit at Kartala for a week in a month.

The notification no. 573/III-10-11/2000 dated 22nd January, 2018 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of the Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Korba at Kartala is hereby cancelled.

BY ORDER OF THE HIGH COURT


12.2.19
(Neelam Chand Sankhla)
Registrar General